रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2000/माघ 7, 1921
No. 63] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2000/MAGHA 7, 1921

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2000

सा.का.नि. 72 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2000 का अनुमोदन करती है।

उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

अनुसूची

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1997 ।

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के खंड 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यासी मंडल एतद्द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित विनियम को केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु बनाता है।

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ :—

(अ) ये विनियम "पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2000" कहा जाएगा।

(आ) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. आवेदन की सीमा :—

(क) ये विनियम (अ) पारादीप पत्तन न्यास के सेवा निवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी (आ) कर्मचारियों के जीवित पति या पत्नी जिनका पारादीप पत्तन न्यास की 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है और जो परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं और (इ) सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है बशर्ते कि वह सार्वजनिक/निजी उपक्रम में लाभ सहित सेवारत नहीं हों और/अथवा अपने अथवा आश्रित के रूप में उपक्रम की किसी भी चिकित्सा सुविधा योजना में न आता हो, पर लागू होंगे।

(ख) इस विनियम के संबंध में "पारादीप पत्तन न्यास के सेवा निवृत्त कर्मचारी" का अर्थ :—

(अ) सभी श्रेणी के कर्मचारी अर्थात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पर लागू सेवा विनियम के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर जो पारादीप पत्तन न्यास की सेवा से सेवा निवृत्त हुए,

(आ) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर जो अपेक्षित सूचना अथवा उस सूचना के अनुपालन में वेतन और भत्ते देते हुए सेवा निवृत्त होते हैं अथवा उस सूचना के अनुपालन में अपेक्षित सूचना या वेतन और भत्ते देकर सेवा निवृत्त होते हैं और सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर जो उस सूचना के अनुपालन में अपेक्षित सूचना अथवा वेतन और भत्ते देकर सेवा निवृत्त होते हैं अथवा उस सूचना के अनुपालन में अपेक्षित सूचना या वेतन और भत्ते देकर सेवा निवृत्त होते हैं।

(इ) कर्मचारी किसी भी श्रेणी का हो जो पारादीप पत्तन न्यास की 15 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् चिकित्सा कारणों से सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया हो,

(ई) सभी श्रेणी के कर्मचारी जो 12-1-93 को या उसके बाद स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पत्तन सेवा से सेवा निवृत्त हुए हों,

(ग) इस विनियम के अधीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए सेवा निवृत्ति के एक माह के अंदर सदस्य के रूप में नामांकन हेतु विकल्प देना होगा। उन लोगों के मामले में जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं अथवा 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् या 15 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् चिकित्सा कारणों से सेवा से अयोग्य घोषित किए जाने पर सेवा निवृत्त हुए हों, उक्त विकल्प उन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से तीन माह के अंदर सेवा निवृत्त कर्मचारियों या आश्रितों, जो भी हो, द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

3. **अंशदान :—**

(क) इस विनियम के अधीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए सदस्यता पूर्णत: स्वेच्छिक है। केवल उन सेवा निवृत्त कर्मचारियों अथवा मृत कर्मचारियों के जीवित पति या पत्नी जो नीचे दर्शाए गए एक मुश्त अंशदान के रूप में अपनी सेवा निवृत्ति सुविधा से कटौती कर या नगद भुगतान करते हैं, इस विनियम के अधीन अपने लिए और/अथवा पति या पत्नी के जीवन भर के लिए चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। एक मुश्त अंशदान की राशि बोर्ड द्वारा समय समय पर और अंतत: प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार निर्धारित की जाएगी।

कर्मचारियों की श्रेणी	एक मुश्त अंशदान की राशि
प्रथम श्रेणी	2500/- रु०
द्वितीय श्रेणी	2200/- रु०
तृतीय श्रेणी	1800/- रु०
चतुर्थ श्रेणी	1500/- रु०

नोट :—विनियम 2 और 3 (क) के लिए "प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी" की अभिव्यक्ति पारादीप पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) विनियम, 1967 में उल्लिखित अर्थ के समान होगा जैसा कि वास्तविक वर्गीकरण कर्मचारी के सेवा निवृत्ति/मृत्यु/चिकित्सा अक्षमता के समय मूल पद धारण के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

(ख) इस राशि को किसी भी उपचार के भुगतान हेतु नहीं माना जाएगा। अंशदायी राशि को चिकित्सालय की सुविधाओं के विकास पर व्यय किया जाएगा। भुगतान किए गए अंशदान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

4. **पंजीकरण :—**

(क) इस विनियम के अधीन चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में अनुलग्नक-क (संलग्न) दो प्रतियों में भरकर कर्मचारी जहाँ से सेवा निवृत्त/अयोग्य अथवा उसकी मृत्यु के कारण उसकी पति या पत्नी के द्वारा उसमें दर्शाए गए विवरण के सत्यापन के लिए विभागाध्यक्ष को देना होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसका पति या पत्नी का 2 पासपोर्ट फोटो तथा अनुलग्नक-ग (संलग्न) में दिए गए प्रपत्र में घोषित करते हुए कि— यह किसी सार्वजनिक/निजी उपक्रम और/अथवा उपक्रम की किसी चिकित्सा सुविधा योजना से लाभ सहित सेवारत नहीं है, और पूर्ववर्ती पैरा में दर्शाए गए एक मु... अंशदान के भुगतान की पायती विभागाध्यक्ष को भेजेगा। घोषणा को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को पुर्ननवीकरण करेगा।

(ख) विभागाध्यक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने पर विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर आवेदन पत्र के विवरणों की जाँच की जाएगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र पर यह प्रमाणित करेगा कि :—

> "मैं व्यक्तिगत रूप से इस विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदन पत्र के सारांश का सत्यापित करता हूँ और यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग और अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1997 के अधीन पात्र हैं।

(ग) यदि इस विनियम के अधीन आवेदक किसी सुविधा के योग्य नहीं पाया जाता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में उसे सूचित किया जाना चाहिए।

(घ) यदि इस विनियम के अधीन आवेदक सुविधा के योग्य नहीं पाया जाता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष की सलाह पर उसके द्वारा किए गए एक मुश्त भुगतान को उसे वापस कर दिया जाएगा।

(च) विभागाध्यक्ष से सिफारिश प्राप्त करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेवा निवृत्त/अयोग्य कर्मचारी अथवा उसके पति या पत्नी जैसा भी हो, को अनुलग्नक "ख" (संलग्न) में फोटो लगे हुए निर्धारित प्रपत्र में पहचान पत्र जारी करेगा। फोटो की दूसरी प्रति आवेदन पत्र पर लगाई जाएगी और इसे अभिलेख के लिए रखा जाएगा। पहचान पत्र का मूल्य, यदि कुछ हो, को सेवा निवृत्त कर्मचारी/पति या पत्नी द्वारा वहन किया जाएगा।

(छ) यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा उसका पति या पत्नी कर्मचारी के मृत्यु के समय किसी भी सार्वजनिक/निजी उपक्रम में लाभ सहित कार्यरत हो और उपक्रम के किसी चिकित्सा सुविधा योजना में आता हो अथवा उस विनियम के अधीन लाभभोगी के मृत्यु होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल लिखित रूप में सेवा निवृत्त कर्मचारी/पति या पत्नी अथवा तत्कालिक मृताश्रित, जो भी हो, तथ्य से अवगत कराएगा। ऐसी सूचना प्राप्त करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसे जारी पहचान पत्र को निरस्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(ज) माह के दौरान जारी/निरस्त किए गए पहचान पत्र के संबंध में मासिक विवरण अगले माह की 10 तारीख तक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को भेजा जाएगा।

(झ) आवेदन पत्र तथा एक मुश्त अंशदान प्राप्त करने पर पारादीप पत्तन न्यास के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक पंजीयन संख्या सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा जीवित पति या पत्नी, जो भी हो, को प्रदान करेगा और उसे चिकित्सालय में पंजीकृत

कर लिया जाएगा। वह केवल पारादीप पत्तन न्यास चिकित्सालय में बहिरंग चिकित्सा सहायता और उपचार का हकदार होगा।

5. क्षेत्र :—

अंशदान का भुगतान करने पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर चिकित्सा सहायता और उपचार सेवा निवृत्त कर्मचारी और उसके पति या पत्नी को सेवारत कर्मचारी के लिए सामान्य रूप से लागू श्रेणी तथा शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(क) उपचार सामान्यत: बहिरंग तक ही सीमित है। पत्तन न्यास चिकित्सालय में उपलब्ध दवाइयाँ ही दी जाएगी। पत्तन न्यास चिकित्सालय में कोई दवा उपलब्ध न होने पर उस व्यक्ति द्वारा खरीदी जाएंगी और उसके द्वारा प्रतिपूर्ति की मांग नहीं की जानी चाहिए।

(ख) बहिरंग चिकित्सा सुविधा और उपचार जिसमें रोग विज्ञान, जीवाणु-विज्ञान, विकिरण चिकित्सा विज्ञान (एक्सरे प्लेट सहित) अथवा परीक्षण के अन्य पद्धतियों (इ०सी०जी० और अल्ट्रासाऊँड) स्कैनिंग सहित के लिए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक सीमा तक और आवश्यक विचार कर सकते हैं कि चिकित्सालय में उपस्कर और सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी आवश्यक विचार करते हैं तो शारीरिक चिकित्सा, दन्त उपचार, हाइपरबेरिक उपचार सुविधानुसार चिकित्सालय में दिया जाएगा। पत्तन अन्य चिकित्सालय में उपचार का कोई दायित्व नहीं लेगा।

(ग) जहाँ तक संभव हो अंतरंग उपचार को टाला जाएगा। यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसका पति/पत्नी की चिकित्सा परीक्षण के दौरान पारादीप पत्तन न्यास चिकित्सालय में भर्ती करने की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो वह भर्ती मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक विचार करने पर कम-से-कम अवधि के लिए सीमित होगी।

(घ) चिकित्सालय द्वारा निर्धारित दवाइयाँ और इन्जेक्सनों की आपूर्ति बिना किसी प्रभार के की जाएगी बशर्ते कि वे दवाइयाँ और इन्जेन्क्सनों चिकित्सालय के अनुरक्षित भंडार में उपलब्ध हों। यदि कोई दवा और इन्जेक्सन पारादीप पत्तन न्यास चिकित्सालय में उपलब्ध न हों तो वे उसका/उसकी अपने खर्च पर खरीदना होगा और प्रतिपूर्ति की मांग नहीं की जाएगी।

(च) सेवा निवृत्त कर्मचारी और /अथवा उसके पति/पत्नी के लिए एक समय में अधिकतम 2 बेड आरक्षित रखा जाएगा और अंतरंग मरीज के रूप में सेवारत कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की अपेक्षा सेवा निवृत्त कर्मचारियों और/अथवा उनके पति/पत्नी को ये बेड आवंटित किए जाएंगे।

(छ) यदि सेवा निवृत्त कर्मचारियों और/अथवा उनके पति/पत्नी के लिए आरक्षित सभी या कोई बेड उनके द्वारा दखल न किए जाने पर दखल न किए गए बेडों को सेवारत कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए आवंटित किया जाएगा।

(ज) सेवा निवृत्त कर्मचारियों और/अथवा उनके पति/पत्नियों के लिए आरक्षित पूर्वोक्त 2 बेड में से एक बेड सेवारत कर्मचारी और/अथवा उसके आश्रितों को आवंटित किया जाता है तो उसे पात्र सेवा निवृत्त कर्मचारी और/अथवा उनके पति/पत्नी उसके बाद भर्ती होने की आवश्यकता के आधार पर स्वस्थ होने के पूर्व मुक्त नहीं किया जाएगा।

(झ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवश्यक विचार करने पर भर्ती के न्यूनतम अवधि के लिए सीमित किया जाएगा।

(ट) एम्बुलैंस सेवा और आवास पर न्यास के डाक्टरों की चिकित्सा सुविधा सेवा निवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नियों को उपलब्ध नहीं होगी।

6. विनियम पर व्यय :—

इस विनियम के अधीन सेवा निवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नियों से संचित अंशदान राशि को जमा किया जाएगा और दी गई चिकित्सा सुविधा पर आए व्यय को भी अलग लेखा शीर्ष के अधीन कल्याण निधि से निपटाया जाएगा।

7. अर्थदण्ड :—

(क) उपर्युक्त विनियम 4(क) में संदर्भित पुनर्नवीकरण की घोषणा का संपूर्ण दायित्व सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसका पति/पत्नी, जो भी हो, की है।

(ख) यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसका पति या पत्नी/पात्र मृत कर्मचारी का पति/पत्नी जो इस विनियम के अधीन एक मुश्त भुगतान करते हुए सुविधा का लाभ उठाया है और बाद में उपचार की सुविधा उठाने की अवधि में सार्वजनिक/निजी उपक्रम में लाभ सहित कार्यरत पाया जाता है तो चिकित्सा उपचार की पूरी लागत बाहरी दर पर 5% अर्थदंड प्रभार लगाया जाएगा और उससे वसूली की जाएगी और इस विनियम के अधीन वह आगामी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार खो देगा।

8. विविध :—

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पहचान पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों को ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस विनियम के अधीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए व्यक्ति/व्यक्तियों को दर्शाते हुए अनुलग्नक-घ (संलग्न) में दिए गए प्रपत्र के अनुसार एक अलग रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा और इस रजिस्टर को सावधिक निरीक्षण हेतु वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

9. अर्थ :—

इस विनियम की व्याख्या जब यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामले को अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास को भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

10. बोर्ड आवश्यक विचार करते हुए इस विनियम में समय समय पर परिवर्तन ला सकता है।

[फा. सं. पी आर-12016/35/97-पीई-I]

के०वी० राव, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-क

पारादीप पत्तन न्यास

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1997 में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र

1. सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम : (बड़े अक्षरों में)
2. (क) पदनाम और पद-श्रेणी :
   (ख) कर्मचारी संख्या/ पी०पी०ओ० संख्या
   (ग) विभाग :
3. (अ) नियुक्ति की तारीख :
   (आ) सेवा निवृत्ति की तारीख :
4. उठाया गया अंतिम वेतन :
5. जीवित पत्नी/पति का नाम :

नाम	संबंध	जन्म की तारीख	वर्तमान आयु
अ.			
आ.			

6. आवेदक का नाम :
7. स्थायी पता :

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :—इस विनियम में शामिल हो रहे सदस्यों के 2 पोसपोर्ट फोटो दिए जाएं ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2000

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees' (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefits after Retirement) Regulations, 2000 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE

PARADIP PORT TRUST EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY OUTDOOR & INDOOR MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 2000

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Port of Paradip hereby makes the following regulations, subject to approval of Central Government as required under Section 124 of the aforesaid Act :

1. Short Title and Commencement :

(i) These Regulations may be called the "Paradip Port Trust Employees' (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefit after Retirement) Regulations, 2000".

(ii) They shall come into force from the date of their Publication in the Gazette of India.

2. Extent of Application :

(a) These Regulations are applicable to (i) retired Paradip Port Trust Employees and to their spouses (ii) surviving spouses of the employees who die while in service after completion of 10 years of continuous service in the Paradip Port Trust, and is eligible for family Pension and (iii) to surviving spouses of retired employees who die after retirement provided he or she is not gainfully employed in the Public/Private Undertaking and/or covered by any medical benefit scheme of the undertaking, either for himself or as dependent.

(b) "Retired Paradip Port Trust Employees" in relation to these Regulations means :

(i) employees of all classes, viz., Class-I, II, III and IV, who retire from the Paradip Port Trust service, on attaining the age of Superannuation under the service regulations applicable to them;

(ii) Class I and Class II officers who retire by giving the requisite notice, or pay and allowances in lieu of such notice, or may be retired by giving the requisite notice or pay and allowances, in lieu of such notice, after attaining the age of fifty (50) years and all Class III and Class IV employees who retire by giving the requisite notice or pay and allowances, in lieu of such notice, or are retired by giving the requisite notice or pay and allowances in lieu of such notice, after attaining the age of fifty five (55) years.

(iii) Employees irrespective of their Class, who were medically invalidated from service after completion of 15 years of continuous service in Paradip Port Trust.

(iv) Employees of all classes who retire from the Port service under Voluntary Retirement Scheme on or after 12-01-93.

(c) The option to enroll as members for obtaining medical benefits under these Regulations shall be given within a month of the date of retirement. In the case of those who have already retired or died while in service after completion of 10 years of continuous service or medically invalidated from service after completion of 15 years of continuous service such option shall be exercised by the retired employees or by the dependant as the case may be within three months from the date those regulations come into effect.

3. Contribution :

(a) To become member for availing medical benefits under these Regulations is purely voluntary. Only those retired employees or surviving spouses of deceased